



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITYसं. 11]
No. 11]नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 4, 2013/पौष 14, 1934
NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 4, 2013/PAUSA 14, 1934पर्यावरण और वन मंत्रालय
अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 जनवरी, 2013

सा.का.नि. 12(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण (ज्येष्ठक निजी सहायक) भर्ती नियम, 1989 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण में निजी सचिव के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण, निजी सचिव समूह "ख" पद भर्ती नियम, 2012 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान.—उक्त पद संख्या, उसका वर्गीकरण और उनके वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान यह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं आदि.—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता.—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार को यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षित अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिचीका की अवधि यदि कोई हो।	
1 निजी सचिव	2 * 1 (2012) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	3 साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "ख" राजपत्रित, अनुसचिवीय	4 वेतन बैंड- (2) 9300-34800रु + ग्रेडवेतन 4600रु	5 चयन	6 लागू नहीं होता	7 लागू नहीं होता	8 लागू नहीं होता	9 लागू नहीं होता

<p>भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता</p>	<p>प्रोन्नति/प्रतिनियुक्त/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्त/आमेलन किया जाएगा।</p>
<p>10</p>	<p>11</p>
<p>प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा</p>	<p>प्रोन्नति :- ऐसे आशुलिपिक श्रेणी I जिनकी वेतन बैच - 2,9300-34,800रु + ग्रेड वेतन 4200 रु की श्रेणी में पाच वर्ष की नियमित सेवा है, टिप्पण-1 : ऐसे अधिकारी जो 1 जनवरी 2006 को पुनरीक्षित पूर्व वेतनमान 5500-9000 रु के पद में नियमित आधार पर पद धारण किए हुए है पुनरीक्षित वेतनमान 5000-8000 रु में पद करने वालों के साथ ज्येष्ठ होगा। टिप्पण-2 : ऐसे आशुलिपिक श्रेणी I जो वेतन बैच-2 9300-34800रु + ग्रेड वेतन 4200 रु में प्रोन्नति के लिए विचार के क्षेत्र में है उन्हें निजी सचिव पद पर प्रोन्नति के लिए विचार हेतु सचिविय प्रशिक्षण और प्रबंधन संस्थान का स्तर-II प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेना होगा और उसे सफलतापूर्वक पूरा करना होगा। टिप्पण-3 : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p>

टिप्पण-4 : प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए, किसी अधिकारी द्वारा, 1 जनवरी 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उसके दशा के जहाँ एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहाँ यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) पर, जिनके लिए ग्रेड वेतन बिना किसी उन्नयन के साधारण प्रतिस्थान ग्रेड है, विस्तारित होगा, वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।

प्रतिनियुक्ति : केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी

(क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं, या
या

(ii) ऐसे आशुलिपिक जिसकी मूल क्रेडर या विभाग में वेतन बैंड-2,9300-34800 रु + ग्रेड वेतन 4200 रु पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात श्रेणी में पाँच वर्ष की नियमित सेवा है, और

(ख) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री सकते हैं।

- टिप्पण-1 : पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।
- टिप्पण-2 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।
- टिप्पण-3 : प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
- टिप्पण-4 : प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजना के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 1 जनवरी 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के जहाँ एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहाँ यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्मथन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है, वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
12	13
समूह "ख" विभागीय प्रोन्नति -समिति (प्रोन्नति के संबंधों में विचार के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:- (i) सलाहकार या संयुक्त सचिव, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का भार साधक पर्यावरण और वन मंत्रालय - अध्यक्ष (ii) निदेशक/उपसचिव (संरक्षण और सर्वेक्षण), पर्यावरण और वन मंत्रालय - सदस्य (iii) निदेशक, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण - सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

[फा. सं. 01/19/2011-सीएसबी]

बी. एम. एस. राठौर, संयुक्त सचिव (संरक्षण और सर्वेक्षण)

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 3rd January, 2013

G.S.R. 12(E).— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Botanical Survey of India (Senior Personal Assistant) Recruitment Rules, 1989, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Private Secretary in the Ministry of Environment and Forests, Botanical Survey of India, namely:-

1. Short title and commencement. – (1) These rules may be called the Ministry of Environment and Forests, Botanical Survey of India, Private Secretary, Group 'B' Post Recruitment Rules, 2012.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification, pay band and grade pay or pay scale. – The number of said post, its classification, pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.
3. Method of recruitment, age limit, qualifications, etc. – The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns 5 to 13 of the said Schedule.
4. Disqualification. – No person, –
 - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
 - (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax. – Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving. – Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of post.	Classification.	Pay band and grade pay or pay scale.	Whether selection post or non-selection post.
1 Private Secretary.	2 1* (2012) *Subject to variation dependent on workload.	3 General Central Service, Group 'B', Gazetted, Ministerial.	4 Pay band-2, Rs. 9300-34800 plus grade pay Rs.4600.	5 Selection.
Age limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.
6 Not applicable.	7 Not applicable.	8 Not applicable.	9 Not applicable.	10 By promotion failing which by deputation.

<p>In case of recruitment by promotion/ deputation/ absorption, grades from which promotion/ deputation/ absorption to be made.</p>	<p>11</p>	<p>Promotion: Stenographer Grade-I in pay band-2, Rs. 9300-34,800 plus grade pay of Rs.4200 with five years' regular service in the grade. Note 1: Officers who were holding the post in pre-revised scale of Rs. 5500-9000 on regular basis on 1st January 2006, will be en-bloc senior to those who were holding the posts in the pre-revised scale of Rs. 5000-8000. Note 2: The Stenographer Grade-I in pay band-2 of Rs. 9300-34800 with grade pay of Rs. 4200, who are in the zone of consideration for promotion, will have to participate and successfully complete Level-II training program to be conducted by Institute of Secretariat Training and Management before being considered for promotion to the post of Private Secretary. Note 3: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p>	<p>If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.</p>	<p>12</p> <p>Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Advisor or Joint Secretary in-charge of Botanical Survey of India, Ministry of Environment and Forests -Chairman; 2. Director or Deputy Secretary (Conservation and Survey), Ministry of Environment and Forests -Member; 3. Director, Botanical Survey of India - Member. 	<p>Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.</p>	<p>13</p> <p>Consultation with Union Public Service Commission not necessary.</p>
---	-----------	---	---	---	---	---

59 GI/13-3

Note 4: For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January 2006 or the date from which the revised pay structure based on the recommendation of the Sixth Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be the service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any up-gradation.

Deputation:

Officers in the Central Government .

- (a)(i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or Department; or
- (ii) with five years' regular service in the Stenographers' grade pay band-2 of Rs.9300-34800 plus grade pay of Rs.4200 in the parent cadre or Department; and
- (b) possessing a degree from a recognised University.

Note 1: The Departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation and similarly, the deputationists will not be eligible for consideration for appointment by promotion.

Note 2: The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately

preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.

Note 3: The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of the applications.

Note 4: For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the recommendations of the Sixth Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be the service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any up-gradation.

[F. No. 01/19/2011-CSB]
B.M.S. RATHORE, Jt. Secy. (Conservation and Survey)